250/सेट
4/12/18

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपज़िलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,ज़नपद :जौनपुर,तहसील :केराकत
वाद सख्या :-03553/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201814360503553
कैलाश सिंह बनाम गावसभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद कैलाश सिंह पुत्र शिवमूरत सिंह निवासी ग्राम– बेहड़ा परगना–केराकत, तहसील–केराकत, जनपद– जौनपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2018 के आधार पर संस्थित किया गया।

वाद पत्र में वादी कैलाश सिंह पुत्र शिवमूरत सिंह ने ग्रामसभा व 7 अन्य को पक्षकार मुकदमा बनाते हुए कथन किया गया कि वादी आराजी निजाई 1506/0.2310,हे0 1508/0.2350हे0, 1507/0.2310हे0, 1509/0.5020हे0 स्थित ग्राम– बेहड़ा, परगना व तहसील–केराकत, जनपद– जौनपुर अपने सम्पूर्ण रकबे में से अपने सम्पूर्ण हिस्से के 0.819हे0 को व्यावसायिक शिक्षा हेतु अकृषिक घोषित करने हेतु दिनांक 22.06.2018 को लगान मुक्त करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा केराकत में जरिये चालान सं0 2 मु0 78828.75/– रूपया जमा कर दिया है। सहखातेदारों द्वारा शपथ पत्र दिनांक 22.10.2018 के माध्यम से अपनी अनापत्ति प्रस्तुत की गई है, अस्तु वाद निर्विवाद है।

वादी के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तहसीलदार केराकत से जाँच आख्या चाही गई। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी अपने हिस्से के 0.819हे0 पर शिवमूरत सिंह मेमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट बेहड़ा के नाम व्यावसायिक शिक्षा हेतु अकृषिक प्रयोजन हेतु उपभोग कर रहा है, जिसे व्यावसायिक शिक्षा हेतु अकृषिक भूमि घोषित किये जाने योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व तहसीलदार केराकत की जांच आख्या दिनांक 22.06.2018 का अवलोकन व परिशीलन भलीभाँति किया। तद्नुसार आदेश निर्गत किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि आराजी निजाई 1506/0.2310,हे0 1508/0.2350हे0, 1507/0.2310हे0, 1509/0.5020हे0 में वादी के हिस्से की भूमि रकबा 0.819हे0 को शिवमूरत सिंह मेमोरियल एजूकेशनल ट्रस्ट, बेहड़ा का नाम भूमि व्यावसायिक शिक्षा हेतु अकृषिक घोषित करते हुए भू0रा0 से अवमुक्त किया जाता है। तद्नुसार परवाना जारी हो। वाद आदेश अनुपालन आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(चन्द्रेश कुमार सिंह)
उपजिलाधिकारी,
केराकत, जौनपुर।

Scanned by CamScanner